संयुक्त राज्य न्याय विभाग एवं संयुक्त राज्य फेडरल ट्रेड कमीशन
तथा
कारपोरेट कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
के मध्य एंटीट्रस्ट सहयोग पर समझौता ज्ञापन

एक ओर संयुक्त राज्य फेडरल ट्रेड कमीशन और संयुक्त राज्य न्याय विभाग तथा दूसरी ओर कारपोरेट कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (जिसे सामूहिक रूप से "संयुक्त राज्य और भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण" कहा जाएगा),

संयुक्त राज्य और भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के मध्य प्रवर्तन सहयोग उपलब्ध कराने हेतु फ्रेमवर्क तैयार कर उनके प्रतिस्पर्धा विधियों के प्रभावी परिवर्तन के संवर्धन की *इच्छा से,*

संयुक्त राज्य और भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के मध्य तकनीकी सहयोग के लाभ को *मान्यता देने हेतु* ताकि एक ऐसा परिवेश बन सके जिसमें इन दोनों देशों के नागरिकों के आर्थिक कल्याण और बाजार के सक्षम परिचालन में सहायक प्रतिस्पर्धा कानून और नीति का सुदृढ़ और प्रभावी प्रवर्तन हो,

अमेरिका और भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों, और साथ ही अन्य सरकारी एजेंसियों तथा कानूनी, व्यापारिक और शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित प्रतिस्पर्धा कानून तथा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सुगठित प्रणाली का विकास को *मान्यता प्रदान करने,* तथा

और यह *मान्यता देते* हुए कि संयुक्त राज्य और भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों के मध्य प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के संबंध में अच्छा ताल-मेल स्थापित होने से संयुक्त राज्य और भारत के मध्य संबंधों में सुधार होगा तथा ये सुदृढ़ होंगे, निम्नलिखित समझौता किया है:

I सहयोग

1. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा नीति तथा प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों से एक दूसरे को अवगत कराएंगे और इन गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

2. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी इस पर समहत हैं कि प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन एवं नीति से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सामान्य हित में है। उचित रुप से उपलब्ध स्रोतों के अधीन वे इस हित के प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त गतिविधियों में संयुक्त रुप से शामिल हो सकते हैं जैसे, अन्य बातों के ***साथ-साथ*** (क) एक दूसरे द्वारा आयोजित तथा संयोजित प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना; तथा (ख) महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थानों, सरकारी एंजेसियों, व्यावसायिक समुदाय, बार एसोशिएशन, शैक्षणिक संस्थानों आदि में सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा नीति की समझ को प्रोत्साहित करने में, जहां आवश्यक हो, सहयोग करना।

3. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी इस पर सहमत हैं कि, जब वे संबंधित प्रतिस्पर्धा मामलों की जांच करते हैं तो उनके अपने प्रवर्तन हितों, कानूनी बाधाओं तथा उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप उपयुक्त मामलों में सहयोग करना उनके सामान्य हित में होगा।

4. संयुक्त राज्य एंव भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी इस ज्ञापन के तहत सहयोग की प्रभावकारिता का मूल्यांकन एक नियमित आधार पर करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी प्रत्याशाएं एवं आवश्यकताएं पूरी हो रहीं हैं।

II कार्ययोजना

1. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी सहयोगी गतिविधियों से संबंधित एक कार्ययोजना तैयार करेंगे जिसे आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकेगा।

III संवाद

1. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी, प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन एवं नीति से संबंधित मामलों में एक दूसरे से सलाह एवं सूचना देने का अनुरोध कर सकते हैं; बशर्ते, तथापि, जांच मामलों से संबंधित सूचना उस मामले में शामिल संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी तक सीमित रहेगी।

2. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी इस ज्ञापन के कार्यान्वयन में सम्पर्क की सुविधा हेतु एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं। दूरभाष, इलेक्ट्रोनिक मेल, विडियो कान्फ्रेन्स, अथवा व्यक्तिगत रुप में, जैसा उचित हो, द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

3. संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी अपनी वर्तमान एवं विचारित नीतियों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं प्रवर्तन प्रयासों तथा प्राथमिकताओं हेतु, उचित समझे जाने पर बैठक कर सकते हैं।

IV गोपनीयता

1. इस बात पर सहमति है कि संयुक्त राज्य एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी एक- दूसरे को ऐसी सूचना प्रदान नहीं करेंगे जो, सूचना रखने वाली एंजेसी को शासित करने वाले कानून द्वारा प्रतिबंधित हो अथवा उस एंजेंसी के हित में न हो।

2. जहां तक दी गई सूचना का संबंध है, सूचना प्राप्तकर्ता कानून के दायरे में रहते हुए गुप्त रुप में संप्रेषित किसी भी सूचना की गोपनीयता को बनाये रखेगा।

लागू होने की तिथि

प्रस्तुत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा तथा इस ज्ञापन के तहत सहयोग तब तक जारी रहेगा जब तक संयुक्त राज्य अथवा भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी इस प्रकार के सहयोग को जारी रखने में इच्छुक न हों। उस परिस्थिति में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि संयुक्त राज्य अथवा भारतीय प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी द्वारा सहयोग जारी न रखने के अपने आशय की सूचना तीन महीने पूर्व दूसरे पक्ष को प्रदान की जाए। मौजूदा समझौता ज्ञापन को जारी नहीं रखने का उद्देश्य मौजूदा ज्ञापन के तहत पहले से प्रक्रियागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करना नहीं है।

इस ज्ञापन का उद्देश्य सहयोग हेतु एक परामर्शी ढांचा प्रदान करना हैं। संयुक्त राज्य एवं भारत के प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी का ज्ञापन के कार्यान्वयन में पूरा अधिकार सुरक्षित होगा तथा इसके द्वारा वर्तमान विधि, समझौते या सहमतियों को परिवर्तित करने या कोई कानूनी बाध्यता या अधिकार या बाध्यताएं लाने का आशय नहीं है।

दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को वाशिंगटन डीसी में अंग्रेजी एवं हिन्दी, दोनों आधिकारिक भाषाओं में, चार मूल प्रतियों में दिया जा रहा है।

संयुक्त राज्य फेडरल ट्रेड कमीशन

संयुक्त राज्य न्याय विभाग

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के लिए

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग